न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वां आर.ए.एस.

उपखण्डाधिकारी भादरा हनुमानगढ (राज०)

प्रकरण सं0 : 209/2018

अनवान :

1. गोपाल पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
2. धनवीरसिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा
3. कान्तादेवी पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा
4. विनोद पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955
उपस्थिति : वकील श्री विनोद पूनियां **: वादी**
निर्णय दिनांक :

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भांगवा तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 102/107 के खसरा सं0 184 की 1.720 है0, खसरा सं0 216 की 0.847 है0, खसरा सं0 338 की 1.150 है0 खसरा सं0 342 की 2.263 है0 खसरा सं0 384 की 4.856 है0 खसरा सं0 398 की 2.896 है0 कुल किता 6 की 13.732 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रामकुमार के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा भनाई तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 383/338 के खसरा सं0 519 की 10.029 है0 खसरा सं0 521 की 2.542 है0 कुल किता 2 की 12.571 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रामकुमार के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

वादभूमि पहले वादी के दादा अमरसिह की खातेदारी हुआ करती थी। अमरसिह के देहान्त होने के उपरान्त उक्त वादभूमि जो प्रतिवादी रामकुमार के नाम से दर्ज है, वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर अर्थात् कुल वादभूमि में 1/10–1/10 हिस्सा के अनुसार विरासतन में प्राप्त हुई थी। परन्तु प्रतिवादी रामकुमार कर्ता खानदान होने के चलते कुल वादभूमि तन्हा अपने नाम से विरासतन दर्ज करवा दी।

वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होने के चलते उसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था जिससे कुल वाद भूमि जो प्रतिवादी रामकुमार के नाम से दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को संयुक्त रूप से प्राप्त हो गई थी तथा इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 गोपाल पुत्र रामकुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी ग्राम भांगवा खाता सं0 102/107 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम भनाई खाता सं0 383/338 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम भांगवा सम्वत् 2047 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम भनाई सम्वत् 2046 प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5, शपथ पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है इसलिए वाद भूमि में वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा ग्राम भांगवा व भनाई के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम भांगवा सम्वत् 2047 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम भनाई सम्वत् 2046 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये है उनमें वाद भूमि वादी के दादा अमरसिंह वल्द केसरा के नाम से दर्ज है जिससे वाद भूमि दादा लाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं प्रस्तुत प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत भांगवा में रामकुवार व रामकुमार पुत्र अमरसिंह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम होना व अमरसिंह के मात्र एक ही पुत्र रामकुमार को रामकुवार के नाम से जाना जाता है अंकित किया गया है जिससे इसके अलावा वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 में रामकुमार के वारिसान में पत्नी विद्या देवी, दो पुत्र गोपाल, धनवीर व दो पुत्री कान्ता देवी, विनोद होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भांगवा तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 102/107 के खसरा सं0 184 की 1.720 है0, खसरा सं0 216 की 0.847 है0, खसरा सं0 338 की 1.150 है0 खसरा सं0 342 की 2.263 है0 खसरा सं0 384 की

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

4.856 है0 खसरा सं0 398 की 2.896 है0 कुल किता 6 की 13.732 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रामकुमार के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा भनाई तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 383/338 के खसरा सं0 519 की 10.029 है0 खसरा सं0 521 की 2.542 है0 कुल किता 2 की 12.571 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रामकुमार के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है के अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 3 व 4 अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.2.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज०)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वां आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 209/2018

अनवान :

1. गोपाल पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।

– **वादी**

बनाम

1. रामकुमार पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
2. धनवीरसिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा
3. कान्तादेवी पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा
4. विनोद पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भांगवा तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 102/107 के खसरा सं0 184 की 1.720 है0, खसरा सं0 216 की 0.847 है0, खसरा सं0 338 की 1.150 है0 खसरा सं0 342 की 2.263 है0 खसरा सं0 384 की 4.856 है0 खसरा सं0 398 की 2.896 है0 कुल किता 6 की 13.732 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रामकुमार के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा भनाई तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 383/338 के खसरा सं0 519 की 10.029 है0 खसरा सं0 521 की 2.542 है0 कुल किता 2 की 12.571 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रामकुमार के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है के अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 3 व 4 अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...21.2.19... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ (राज0)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़